Financial Assistance for Rehabilitation of Child Labour

1328. SHRI PRAKANTA WARISA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the State-wise details of the financial assistance provided by Government under the Centrally-sponsored schemes related to rehabilitation of child labour during the last three years;

(b) to what extent progress has been made in the rehabilitation of child labour in each State during this period; and

(c) the amount of fund allocated to the States for this purpose during the year 1998-99?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) There are no Centrally Sponsored Scheme for the rehabilitation of child labour. However, Government of India has been implementing two schemes, namely National Child Labour Projects (NCLPs) and Grant-in-aid to voluntary organisations. Under the scheme of NCLP, funds are released to the project societies at the district level, which run special shcools for the rehabilitation of child labour. So far 76 child labour projects have been sanctioned in the child labour endemic States for the coverage of 1.5 lakh children with provision for non-formal education, vocational training, nutrition, health-check, stipend etc.

Under the scheme of Grants-in-aid, funds are released to NGOs directly for taking up action oriented projects for the rehabilitation of child labour. 80 voluntary organisations have been extended assistance under the scheme.

कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी दरों में असमानता

1329. **श्री जनार्दन यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी दरों में असमानता है;

(ख) क्या सरकार का कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी दरों में उपरोक्त असमानता को समाप्त करके देश में सभी कर्मकारों की एक समान मजदूरी निर्धारित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यानारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच पहले की गई थी और यह महसूस किया गया था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम मजदूरी की एक समान दर निर्धारित नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि भुगतान करने की क्षमता भिन्न-भिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है तथा भिन्न-भिन्न स्थानों में निर्वाह व्यय भी भिन्न-भिन्न होता है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन

1330. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन और परिवर्तन के लिये श्रम संगठनों आदि द्वारा सरकार को कौन-कौन से सुझाव दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं;

(घ) आवश्यक परिवर्तन करने के बाद उक्त योजना को किस तारीख से लागू किया गया है या किस तारीख से लागू किया जाएगा; और

(ङ) उक्त योजना को कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू किया गया है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यानारायण जटिया): (क) से (ङ) 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 लागू होती है। सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कतिपय परिवर्तन करने के लिये सुझाव प्राप्त हुये थे। उक्त सुझाव, अन्य बातों के साथ-साथ विवाहित पुत्रों और पुत्रियों तथा पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं एवं पुनर्विवाह करने वाले विधुरों के बीच भेदभाव को समाप्त किये जाने, योजना के लाभों को 5000/- रुपए प्रति माह से अधिक मजदूरी आहरित करने वाले कर्मचारियों पर लागू किये जाने, पेंशन का शीघ्र भुगतान करने के लिये बट्टादर को कम किये जाने, चूक के